[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

वादी

बनाम

1. [illegible]
2. [illegible] [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
   [illegible]
5. [illegible]
   [illegible]
6. [illegible]

अप्रार्थीगण

[illegible]

उपस्थित:-

1. [illegible]
2. [illegible]

निर्णय   दिनांक [illegible]

1. [illegible]

समक्ष विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से वकील श्री क्षितिज शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। अन्य अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर दिनांक 12.06.2020 को अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये उक्त आराजीयात भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु आदेश पारित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से भी उक्त आराजीयात भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व उनवानी हरिओम व अन्य बनाम गोरधन वगैरह का दिनांक 23.06.2020 सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर दिनांक 23.06.2020 को अप्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये उक्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्नन करने हेतु आदेश पारित किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण को पाबन्द करने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में उग रही फसल को उथलने व नष्ट करने पर आमदा हो रहे थे, तो प्रार्थी के द्वारा उन्हें न्यायालय के स्थगन आदेश व किये गये पाबन्दीय आदेश का अवलोकन करा कर ऐसा अवैद्य कार्य नहीं करने बाबत निवेदन किया, परन्तु उनके द्वारा अपनी अवैद्य कार्यवाही को अन्जाम देने हेतु एक राय हो कर प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि मे उग रही फसल को नष्ट करने की कार्यवाही अमल में लाई गई तो प्रार्थी के द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाना बगरू में दिनांक 13.07.2020 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की व स्थगन की फोटो प्रति लगा कर वाराजोही की । स्थगन आदेश के बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि काश्त करने से परेशान कर रहे है तथा अप्रार्थीगण को स्थगन की जानकारी होने के बावजूद भी पत्रावली में दिनांक 23.06.2020 को व उनवानी हरिओम बनाम गोरधन वगैरह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थी की भूमि पर स्थगन जारी कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को होते ही प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हो कर अप्रार्थीगण के वाद का खण्डन करने हेतु दस्तोवज तलब करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिसका आज दिन तक कोई जबाब तलब नहीं किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण लगातार काश्त करने में परेशानी उत्पन्न करने पर संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिर्पोट पेश की गई, मगर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के गलत आदेश की वजह से कोई

जिला कलक्टर
जयपुर

कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी ने इस संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया तो अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से दिनांक 01.10.2020 को मिल कर विविध प्रार्थना पत्र धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर एक तरफा आदेश सम्पूर्ण आराजी पर खडी फसल को काटने के आदेश पुलिस के नाम तहरीर जारी कर प्रार्थी को पाबन्द कर फसल कटवा दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा बिना वस्तु स्थिति पर गौर कर अपना मनमाना आदेश अविधिरूपेण पारित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के उक्त अविधिक सम्मत निर्णय व कार्यवाही से साफ साफ जाहिर होता है कि उनके द्वारा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने व अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुये कार्यवाही अमल में लाई गई है। जिसके संबंध में प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्व अन्य उच्च अधिकारियों को भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पर इसलिए भी अविश्वास हो गया क्योंकि जब प्रार्थी की ओर से वाद ग्रस्त आराजीयात भूमि के संबंध में वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2020 को पेश कर दिया गया था जिसमें दिनांक 12.06.2020 को ही वादग्रस्त आराजीयात भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व अप्रार्थीगण को मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पाबन्द फरमा दिया गया था । जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीनं अधिकारी को एवं अप्रार्थीगण को पूर्ण रूपेण थी, परन्तु अप्रार्थीगण ने उसी वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर एक अन्य वाद पत्र ब उनवानी हरिओम व अन्य बनाम गोरधन व अन्य का दिनांक 23.06.2020 को पेश कर उसी वादग्रस्त भूमि के लिए प्रार्थी को पावन्द करवा दिया । इस प्रकार से उक्त कार्यवाही से भी यह साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा गैर जुम्मेदाराना एवं अविधि संगत कार्यवाही कानून के विपरीत जाकर की गई है। इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के उपर विश्वास नहीं रहा और प्रार्थी को यह भी आभास हो चुका है कि सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय मिलने की किन्चित मात्र भी आशा नही है। न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना लाजमी है कि विधि का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि यदि न्यायालय में कोई वाद पत्र विचाराधीन रहता है और वाद पत्र के विचाराधीन रहते कोई किसी प्रकार के कार्यवाही करना वांछित है तो उस वाद पत्र में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र को तलब करवाकर कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, परन्तु अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने तो कानून को ही अनदेखी करते हुये अपने मनमर्जी से प्रस्तुत वाद पत्र में कार्यवाही की गई है । क्याकि कि अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी का दिनांक 01.10.2020 को सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से मिल कर पेश किया गया और उसमें बिना वाद पत्र को तलब किये व बिना प्रार्थी को सूचित किये एक तरफा आदेश वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि पर ,खडी फसल को कटवाने के आदेश जारी कर दिये तथा साथ में सबंधित पुलिस थाने को भी तहरीर जारी कर प्रार्थी को पाबन्द कर फसल कटवा दी गई। जबकि पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी पंचायत चुनाव में थी और उस दिन

जिला कलक्टर
जयपुर

की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी होने के कारण संबंधित न्यायिक कार्य स्थगित रखे गये थे, परन्तु अप्रार्थीगण को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसकी भी उनके द्वारा अनदेखी करते हुये विविध प्रार्थना पत्र फसल काटने के एक तरफा आदेश पारित कर दिये गये और साथ में जो विविधि प्रार्थना पत्र की प्रोसिडिंग्स अमल में लाई गई उसको अवलोकन करने से साफ जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मनमर्जी से अप्रार्थीगण से साथ गांठ कर प्रार्थी को नुकसान पहुंचने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है जिससे संबंधित पीठासीन अधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होना साफ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सम्बन्धित न्यायालय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थी की ओर से पीठासीन अधिकारी की उक्त बैजा कार्यवाही से व्यथित होकर एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को दिनांक 14.10.2020 को समस्त वांछित दस्तावेज सहित पेश कर दिया गया था तथा अन्य उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही करने बाबत लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी गई थी। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थी की उक्त पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी को यदि सहायक कलक्टर फागी के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में किसी प्रकार की शंका है और किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई की जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर बहस सुन कर दिनांक 25.06.2020 को अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये उक्त आराजीयात भूमि की राजस्व रिकार्ड की एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु आदेश पारित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से भी उक्त आराजीयात भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व उनवानी हरिओम व अन्य बनाम गोरधन वगैरह का दिनांक 23.06.2020 सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रस्तुत कियया गया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर दिनांक 23.06.2020 को अप्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये उक्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्नन करने हेतु आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 01.10.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र धारा 151 जाब्ता दीवानी पर एक तरफा आदेश पारित कर सम्पूर्ण आराजी पर खडी फसल को काटने के आदेश पारित कर पुलिस के नाम तहरीर जारी की गई है। जिससे प्रार्थी के कथन को बल मिला है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या अस्थाई निषेधाज्ञा 26/2020 व वाद पत्र संख्या 34/2020 ब उनवानी गोरधन बनाम हरिओम व अन्य एवं अन्य अस्थाई

निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 34/2020 व वाद पत्र संख्या 43/2020 व उनवानी हरिओम व अन्य बनाम गोरधन को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में उपस्थित हो।

सहायक कलक्टर आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरणों का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर फागी व आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

9/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर